राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1061/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
ओम प्रकाश भाटी डी-137, कीर्ति नगर, पो0 के.यू.एम.एम., जोधपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव कृषि ग्रुप-3, विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 27-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ0 एस.पी. सिंह, संयुक्त शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-3), शासन सचिवालय उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 25-1-17 के द्वारा वित्त विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164-ए में किये गये संशोधन की अधिसूचना सूचना दिनांक 1-12-15 के परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्ति पश्चात पुर्ननियुक्ति पर लगाये कर्मचारियों आदि के संबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 10-2-17 से विनिश्चय प्रेषित करते हुए संसूचित कर दिया गया था कि आवेदन के बिन्दु संख्या 1, 2 एवं 3 की सूचना कार्मिक विभाग से संबंधित होने के कारण सूचना कार्मिक विभाग से प्राप्त करें तथा बिन्दु संख्या 4 व 5 से संबंधित पत्रावली किसी अन्य प्रकरण में उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाने के कारण उक्त पत्रावली प्राप्त होने पर उन्हें सूचना प्रेषित कर दी जावेगी तथा बिन्दु संख्या 6 के क्रम में 40/- रू0 सूचना शुल्क चाहा गया। अन्ततः प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना अपीलार्थी को पत्र दिनांक 14-6-17 से प्रेषित कर दी गई एवं निर्णयानुसार वांछित सूचना कार्मिक एवं वित्त विभाग से प्राप्त होने पर अपीलार्थी को पत्र दिनांक 19-7-17 से पूर्ण सूचना का प्रेषण कर दिया गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 27-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रथम अपीलीय निर्णय की अनुपालना में सूचना प्रदान कर दी गई है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

7. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

9. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त